



**BHOPAL SAHAKARI DUGDH SANGH.MARYADIT
BHOPAL (M.P)**

**E-TENDER
FOR**

Transportation of S.M.P. & Sugar

// परिवहन हेतु ई-निविदा सूचना //

निविदा क्रं: 22

दिनांक 19.09.2018

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, डेयरी संयंत्र हंबीबगंज, भोपाल द्वारा इंदौर, ग्वालियर, देवास से दुग्ध चूर्ण एवं बुरहानपुर से शक्कर परिवहन कर दुग्ध संयंत्र भोपाल तक पहुँचाने अन्यथा निर्देशानुसार ले जाने हेतु ऑनलाइन दरे आमंत्रित की जाती है।

निविदा फार्म के साथ धरोहर राशि के रूप में प्रत्येक स्थान हेतु अलग-अलग राशि नगद या बैंक ड्रॉफ्ट जो की **"भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल"** के नाम देय हो, लगाना अनिवार्य है। किसी भी निविदा/निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप में स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी का होगा। निविदा फार्म क्रय, डाउनलोड एवं निविदा भरने की संपूर्ण कार्यवाही www.mpeproc.gov.in पर संपादित की जा सकती हैं। निविदा का विस्तृत विवरण/कार्य एवं शर्तें कार्यालय की वेबसाइट www.mpcdf.gov.in पर देखी जा सकती है।

निविदा फार्म डाऊन लोडिंग की प्रारंभ दिनांक व समय	निविदा दर भरने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा खुलने की दिनांक व समय	निविदा प्रपत्र की राशि रू0	वित्तीय निविदा खुलने की दिनांक व समय
20.09.2018 11.00 AM	10.10.2018 2.30 PM	10.10.2018 3.00 PM	1000/-	10.10.2018 3.30 PM

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
भोपाल

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

निविदा

ANNEXURE- I	:- परिवहन विवरण एवं शर्ते ।
ANNEXURE-II	:- तकनीकी प्रपत्र,
ANNEXURE-III	:- Price Bid
ई-निविदा खोले जाने का स्थान	:- भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
पत्राचार हेतु पता	:- मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, हबीबगंज भोपाल म.प्र. 462024

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल

परिवहन विवरण

क्रं	परिवहन		सामग्री	अनुमानित मात्रा मे. टन मे	अवधि	धरोहर राशि रु0 में
	से	तक				
1	इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या, मॉगलीया, इन्दौर	भोपाल डेयरी संयंत्र	दुग्ध चूर्ण (25किलो में)	500	12 माह	15000 / -
2	ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्या, बान्मोर, जिला मुरैना ग्वालियर	भोपाल डेयरी संयंत्र	दुग्ध चूर्ण (25किलो में)	500	12 माह	15000 / -
3	डिलाईट डेयरी देवास	भोपाल डेयरी संयंत्र	दुग्ध चूर्ण (25किलो में)	500	12 माह	15000 / -
4	शिव हेल्थ फूड्स, (कोटा) राजस्थान	भोपाल डेयरी संयंत्र	दुग्ध चूर्ण (25किलो में)	500	12 माह	15000 / -
5	नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना जिला, बुरहानपुर	भोपाल डेयरी संयंत्र	शक्कर (50 या 100 किलो के बोरे में)	500	12 माह	15000 / -

परिवहन कार्य की शर्तें

- सम्बन्धित गोदाम पर माल की लोडींग एवं भोपाल संयंत्र मे भूतल/प्रथमतल स्थित गोदामों में अनलोडींग कर जमाने (स्टेंकिंग) की व्यवस्था परिवहनकर्ता को करना होगी।
- नियमानुसार सर्विस टैक्स एवं आयकर का कटौत्रा परिवहन देयक से किया जावेगा। इस हेतु परिवहनकर्ता का **पेन न0** एवं सर्विस टैक्स न0 आवश्यक है। अतः संस्था के पेन कार्ड एवं सर्विस टैक्स प्रमाण पत्र की छाया प्रति भाव पत्र के साथ लगाना अनिवार्य है।
- परिवहन की जा रही सामग्री का ट्रांजिट बीमा दुग्ध संघ द्वारा किया जावेगा। सफल निविदाकार को कार्य हेतु रु0 500 / - के स्टाम्प पेपर पर एक वर्ष हेतु अनुबंध संपादित करना होगा, जो कि दर स्वीकृति का पत्र जारी होने के 10 दिवस की समयावधि मे किया जावे। अन्यथा निविदा निरस्त अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
- लोडींग/अनलोडींग स्टेकिंग व्यय, सर्विस टैक्स सम्मिलित कर प्रति मेट्रिक टन परिवहन भाड़ा के आधार पर प्रत्येक स्थान हेतु अलग-अलग दर देना आवश्यक है।

एक वर्ष हेतु प्रत्येक स्थान के लिये स्थिर दर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। परन्तु यदि निविदाकार केवल डीजल के मूल्य में सम्भावित कमी या वृद्धि को

दृष्टिगत समय समय पर संशोधित दर का लाभ लेना चाहते हैं तो निम्न शर्तों के तहत विकल्प देना होगा।

(अ) डीजल की दरों में वृद्धि/कमी का लाभ एक तरफ की कम से कम की दूरी का ही दिया जावेगा।

(ब) डीजल की दरों में वृद्धि/कमी के आधार पर संशोधित प्रति मेट्रिक टन दर कि गणना 16/20 मेट्रिक टन क्षमता के वाहन औसत माईलेज 4 किलोमीटर प्रति लीटर डीजल के आधार पर की जावेगी।

5. प्रत्येक कार्य हेतु दिये गये भाव की वैधता दर स्वीकृत होने की दशा में आदेश दिनांक से एक वर्ष तक वैध रहेगी। जिसे 3 माह तक बढ़ाया जा सकता है।

6. दर स्वीकृति के उपरान्त दुग्ध संघ के निर्देशानुसार समय-समय पर वाहन की व्यवस्था कर माल परिवहन कर पहुँचाना अनिवार्य होगा।

7. परिवहन कार्य हेतु दुग्ध संघ द्वारा कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। प्रत्येक 15/30 दिवस में किये गये परिवहन का एक मुश्त देयक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा, जिसका भुगतान देयक प्राप्ति के 30 दिवस में किया जावेगा। बिल्टी पर भुगतान नहीं किया जावेगा।

8. परिवहन के दौरान माल की सुरक्षा हेतु त्रिपाल इत्यादि की व्यवस्था परिवहनकर्ता को करनी होगी। माल में कमी/नुकसान होने पर परिवहनकर्ता के देयक से कटौती किया जावेगा।

9. निविदा के समय या पश्चात् उत्पन्न किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादा भोपाल का निर्णय सर्वपरि होगा, जो दोनों पार्टियों को मान्य होगा।

10. गाडी का आर टी ओ से वैध फिटनेस परमिट का प्रमाण पत्र एवं बीमा की छाया प्रति निविदा के समय संलग्न करनी होगी।

11. परिवहन की मात्रा अनुमानित है मात्रा कम/ज्यादा हो सकती है। जिसे परिवहन किये जाने परिवहनकर्ता बाध्य है।

12. परिवहन आदेश दिये जाने के बाद समय सीमा में परिवहन नहीं करने पर परिवहन अन्य पार्टी से कराया जा सकता है। इससे होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली निविदाकार की अमानत राशि/देयको से करते हुये अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। तथा निविदाकार को ब्लेक लिस्ट किया जा सकता है।

13. किसी भी निविदा/निविदाओ को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल का होगा जो कि निविदाकार/निविदाकारो पर बंधनकारी होगा।

14. परिवहन निविदा की दरे ई-निविदा के माध्यम से ऑनलाईन ही स्वीकार होगी।

15. विभिन्न गन्तव्य स्थानो हेतु प्रस्तुत की जाने वाली निविदा दरे "रुपया प्रति मेट्रिक टन" प्रपत्र मे दर्शाये गये स्थानो के सामने अंकित करे।

16 अगर परिवहनकर्ता के वाहन में किसी कारणवश खराबी आ जाती है उसकी सूचना तत्काल कार्यालय के भंडार शाखा के कर्मचारियों/अधिकारियों को देना है। परिवहनकर्ता के वाहन में खराबी का कारण वाहन का स्थान जहाँ वो खड़ा है, एवं कितने समय में वाहन दुग्ध संस्था तक पहुँच जावेगा इसकी जानकारी कार्यालय में देना होगी। तथा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था कर सामग्री की निर्धारित गंतव्य तक पहुँचाने की पूर्ण जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी। इस हेतु पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।

17 परिवहनकर्ता द्वारा जिस वाहन से माल परिवहन किया जा रहा उसके अंदर का (डाला एवं बाड़ी) अच्छी हालत में होना चाहिए।

18 परिवहन के दौरान मार्ग में किसी भी प्रकार की टूट-फूट, नुकसान, कमी अथवा वर्षा आदि के फलस्वरूप हुई क्षति के लिए परिवहनकर्ता उत्तरदायी माने जावेगा तथा क्षतिपूर्ति की राशि उनके परिवहन देयक से वसूल की जावेगी।

19 यदि लगातार तीन बार परिवहन कार्य सुपुर्दगी आदेश की प्राप्ति के बाद परिवहन हेतु उपयुक्त वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो उसका ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को रहेगा और यह ठेका किसी अन्य ठेकेदार को दिया जा सकेगा एवं ठेकेदार द्वारा जमा की गई अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

20 अनुबंध की अवधि सामान्यतः एक वर्ष की होगी तदपि परिवहनकर्ता का परिवहन कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ द्वारा उन्ही दरो एवं शर्तों पर दो वर्ष तक अनुबंध अवधि में अतिरिक्त वृद्धि की जा सकेगी।

21 उभय पक्षों द्वारा दो माह की पूर्व सूचना के उपरांत यह अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

22 वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध सरकारी कानून के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी भी परिवहनकर्ता की होगी। इस कारण संयंत्र को हुई हानि की राशि परिवहनकर्ता के देयक से वसूली की जायेगी।

23 निविदाकार उसके द्वारा लगाये गये वाहन पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों का व्यवहार संयंत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं सुरक्षा अधिकारियों के साथ सौहार्द्रपूर्ण होना चाहिए।

24 दोनों पक्षकारों के बीच हुए अनुबंध के संदर्भ में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रकरण अध्यक्ष, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के समक्ष रखा जावेगा, जिनका निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बंधनकारी तथा मान्य होगा।

25 परिवहनकर्ता द्वारा इस ठेके के किन्हीं निबंधनों एवं शर्तों का पालन न किये जाने अथवा इनका उल्लंघन किये जाने या उनके द्वारा बीच में ही ठेका समाप्त कर देने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रतिभूति की संपूर्ण राशि राजसात कर ली जावेगी। ऐसी स्थिति में परिवहन ठेका अन्य निकटतम भावदाताओं को देने के फलस्वरूप शेष ठेका अवधि में होने वाली

आर्थिक क्षति की राशि परिवहनकर्ता की प्रतिभूति राशि एवं लंबित देयको से वसूल की जावेगी।

26 निविदा अस्वीकृत होने पर अमानत राशि की वापसी का आवेदन जमा रशीद की मूलप्रति के साथ प्राप्त होने पर 30 दिनों पश्चात वापस की जा सकेगी।

27 निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रस्तुत करने से यह समझा जावेगा कि निविदा प्रस्तुत करने के लिए दी गई विभिन्न जानकारियों तथा अनुबंध की शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है तथा वे इससे सहमत हैं। निविदाकार द्वारा यदि निविदा में अन्य कोई शर्तें लगाई जाती हैं तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को निविदा अमान्य करने का अधिकार रहेगा।

28 ठेका समाप्त होने पर ठेकेदार को प्रतिभूति राशि की वापसी हेतु लिखित रूप से आवेदन के साथ जमा रशीद की मूलप्रति प्रस्तुत करना होगा। अदेय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ठेकेदार की संयंत्र कार्यालय में जमा प्रतिभूति राशि वापस की जा सकेगी। इस राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

29 ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान दुग्ध संघ द्वारा नहीं किया जावेगा।

30 परिवहनकर्ता के देयको से शासन के नियमानुसार आयकर, सर्विस टैक्स तथा समय-समय पर लगने वाले टैक्स आदि का कटौती किया जावेगा।

31 उपरोक्त वर्णित शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो 3 बार परिवहनकर्ता ठेकेदार को पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा उसके उपरान्त भी उपरोक्त नियमों / शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में उनका परिवहन ठेका समाप्त कर राशि राजसात किये जाने के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ भोपाल को अवगत कराया जावेगा एवं उनसे प्राप्त निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी।

32. न्यायिक प्रक्रिया की स्थिति में प्रकरण भोपाल स्थित न्यायालय में ही संपन्न होगा।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल

तकनीकी प्रपत्र—

1. निविदाकार का नाम
(पिता के नाम सहित) -----
2. निविदाकार फर्म का नाम एवं पता

3. कार्यालय का पता
(अ) दूरभाष/मोबाईल नम्बर
(ब) E-Mail -----
4. निविदा के साथ जमा धरोहर राशि
विवरण (/D.D की छायाप्रति अपलोड करे) -----
5. PAN No.
(छायाप्रति अपलोड करे) -----
6. GST No.
(छायाप्रति अपलोड करे) -----
7. सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन नं. .
(छायाप्रति अपलोड करे) -----
8. यदि पार्टनरशिप फर्म है तो -----
(पार्टनर के नाम एवं पते अंकित करे)

नोट :-

घोषणा

एतद् द्वारा मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि ऊपर दिये गये विवरण मेरे/हमारे पूर्ण विवेक अनुसार सत्य है, तथा वे परिणामों के सम्पूर्ण परिज्ञान के साथ प्रस्तुत किये गये है। मैंने/हमने संबंधित आमंत्रण पत्र, निबंधन एवं शर्तों तथा सूची को पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है, वे मुझे/हमें मान्य है।

स्थान:-

दिनांक :-

—आवेदक—

निविदाकार (निविदाकार के हस्ता.)